



**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सीपीएम)/अ.अ.(आर.ए.वा.)फा /प्रे. 2202 दि. 30/12/06

आदेश

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को दिये जाने वाले घरेलू एकल बिन्दु कनेक्शनों हेतु आवेदन पत्र शुल्क की राशि, स्टाम्प शुल्क एवं सिक्योरिटी राशि की विषय वस्तु पर समन्वय समिति की 98वीं बैठक दिनांक 22.11.2006 में विस्तृत चर्चा की गई।

इस संबंध में समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को दिये जाने वाले एकल बिन्दु घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र की शुल्क राशि रु. 200/-, स्टाम्प शुल्क रु. 10/- एवं सिक्योरिटी (अमानत) राशि रु. 100/- जोधपुर डिस्कॉम द्वारा ही वहन किये जावेगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से

(ए.एम. लोढ़ा)

मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जोधपुर/बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर /पाली /बाड़मेर /जालोर /चूरु /श्रीगंगानगर /हनुमानगढ़ /बीकानेर /सिरोही /जैसलमेर।
- वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- उप मुख्य अभियन्ता (एम.एम.एण्ड सी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को राज्य सरकार से पुर्नभरण प्राप्त करने हेतु।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्ड पी/बी.एफ.एल.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।